HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16667/2022

Banwarilal S/o Bidhdaram, Aged About 67 Years, R/o Dhani Baljihali Tan Dehra Johadi, P.s. Neem Ka Thana Sadar, Distt. Sikar (Raj.) (Present Petitioner In Sub-Jail Neem Ka Thana)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ali Mohammed Khan, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sanjeev Mahala, PP Mr. Hemant Gajraj, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

31/03/2023

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **439** के अन्तर्गत पुलिस थाना **नीमकाथाना सदर, सीकर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–418/**2022** अपराध अन्तर्गत धारा **341, 323, 143, 302** भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त निर्दोष है, वर्तमान अभियुक्त बनवारी लाल की इस घटना में कोई सक्रिय भूमिका नहीं है, रूपयों के लेनदेन को लेकर व राशि अभियुक्त पक्ष को वापिस नहीं लौटाने हेतु दबाव बनाने हेतु मिथ्या आधारों पर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी

गयी है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, प्रार्थी लंबे समय से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा तर्क दिया है कि गवाह शंकर, सुमेर व सुभाष के कथनों व प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मामला धारा 302 भारतीय दंड संहिता का है तथा पुलिस ने धारा 306 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र पेश किया है, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा अभी आरोप विरचित किया जाना शेष है, अतः ऐसी स्थिति में धारा 306 भारतीय दंड संहिता का मामला मानते हुए जमानत की सुविधा दिये जाने का विरोध है। अंत में उन्होंने अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्को के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

हस्तगत मामले में परिवादी सुभाष चंद सैनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर यह आरोप लगाया है कि अभियुक्त बनवारी व उसके पुत्र अभियुक्त नरेन्द्र से परिवादी पक्ष ने 2,80,000/—रूपये उधार लिये थे जिसके बदले 3,50,000/—रूपये अदा कर दिये थे, परंतु इसके बावजूद ब्याज सहित अभियुक्त पक्ष 10 लाख रूपयों की मांग कर रहे थे व अनुचित दबाव डालने के लिए घटना के लिए दोनों अभियुक्तगण द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उसके पिता गणपत के साथ घातक हथियारों से मारपीट की तथा कुये में डाल दिया।

प्रांरभ में मामला धारा 302 भारतीय दंड संहिता में दर्ज होकर अनुसंधानाधीन रहा, लेकिन उपरोक्त गवाह शंकर, सुमेर व सुभाष के बयानों के अलावा अन्य पडोसी गवाहान के बयान लिये गये जिन्होंने घटनास्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति बतायी है तथा लेनदेन के विवाद को लेकर मृतक द्वारा ही कुये में कूदकर आत्महत्या करने का कथन किया है।

विचारण न्यायालय द्वारा आरोप के बिन्दु पर सुना जाकर आदेश पारित किया जाना शेष है। अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप गंभीर है।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **बनवारी लाल पुत्र बिडदाराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोप के बिन्दु पर आदेश पारित किये जाने के पश्चात अभियुक्त पक्ष द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर नये सिरे से सुनकर विचार किया जाएगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /16